रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240195
CG-DL-E-11112022-240195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5017] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
No. 5017] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 5236(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो अधिसूचना संख्या का.आ. 1260 (अ), तारीख 31 मई, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 2 में,-

(क) उप-पैरा (1) में, "केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे" शब्दों के स्थान पर, "इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन होंगे", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन होने तक सभी नए निर्माण और अन्य विकास क्रियाकलापों को इस अधिसूचना के पैरा 4 के अनुसार गठित निगरानी समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।"।

(ii) पैरा 4 के,-

(क) उप-पैरा (2) में,-

(i) मद (ग) में, "जिसे भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा", शब्दों को हटाया जाएगा;

(ii) मद (छ) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट", शब्दों को हटाया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (4) में, "उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों को पूर्व अनापत्तियों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी", शब्दों के स्थान पर, "उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व अनापत्तियों के लिए, यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कर्नाटक को निर्दिष्ट करेगी।" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. गुजरात/1/2009-ईएसजेड]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii), में अधिसूचना संख्याक का.आ. 1260 (अ), तारीख 31 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5236(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1260 (E), dated the 31st May, 2012, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 2, –

(a) in sub-paragraph (1), for the words, "approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests", the words "approved by the Competent Authority of the State Government for its effective implementation" shall be substituted;

(b) for sub-paragraph (8), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(8) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Competent Authority of the State Government, all new constructions and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee constituted under paragraph 4 of this notification.".

(ii) in paragraph 4, -

(a) in sub-paragraph (2),-

(i) in item (c), the words "to be nominated by the Government of India" shall be deleted;

(ii) in item (g), the words "to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India" shall be deleted.

(b) in sub-paragraph (4), for the words, "Ministry of Environment, Forest and Climate Change, for prior clearances under the provisions of the said notification", the words "Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, Gujarat, as the case may be, for prior clearances under the provisions of the said notification." Shall be substituted.

[F. No. Gujarat/1/2009-ESZ]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1260(E), dated the 31st May, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.11.11 14:38:22 +05'30'